ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-9* October (Part-1) 2021
Innovation The Research Concept

ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में मनरेगा की भूमिका
Rural Success of MGNREGA

Paper Submission: 10/10/2021, Date of Acceptance: 21/10/2021, Date of Publication:23/10/2021

संगीता सिंघल
एसोसिएट् प्रोफेसर,
अर्थशास्त्र विभाग,
एस0डी0 कॉलेज,
मुजफ्फरनगर,
उत्तरप्रदेश, भारत

सारांश

विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार, पूरे विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रही है। भारत में लगभग 37 करोड़ लोग गरीबी और भूखमरी की त्रासदी से जूझ रहे है और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे-स्वास्थ्य, पोष्णता, शिक्षा, भोजन पीने योग्य पानी आदि से वंचित है। सरकार द्वारा समय-समय पर गरीबी पर प्रहार करने के लिए समयबद्ध योजनाएँ क्रियान्वित की गई परन्तु कोई भी योजना वांछित प्रभाव नहीं दिखा सकी। आजादी के 72 वर्षों के पश्चात भी आज हम उस स्थिति से बड़ी दूर है जब हर नागरिक के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सके। ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया जिसको सरकार ने बाद में महात्मा गाँधी के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए महात्मा गाँधी राष्ट्रीय गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के रूप में कर दिया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। इसके अन्तर्गत हर घर के एक व्यस्क सदस्य को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार दिये जाने की गारंटी है। मनरेगा ने गाँधी के "श्रम की गरिमा" की धारणा को साकार किया साथ ही यह ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण का प्रभावी उपकरण भी साबित हुआ। मनरेगा ने गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, ग्रामीण श्रम बाजार में मजदूरी में वृद्धि, श्रमिको की सौदेबाजी क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित कर समावेशी विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

According to the World Bank estimates, more than half of the world's population is living below the poverty line. About 37 crore people in India are facing the tragedy of poverty and hunger and are deprived of basic necessities of life like health, nutrition, education, food, potable water etc. Time bound schemes were implemented by the government from time to time to attack poverty. But none of the schemes could show the desired effect. Even after 72 years of independence, today we are far away from that situation when employment opportunities can be created for every citizen. The government passed the National Rural Employment Guarantee Act in 2005 to remove rural poverty. Which the government later did in the form of Mahatma Gandhi National Guarantee Act (DHT) while showing respect to Mahatma Gandhi. Its objective is to enhance the livelihood security of the households in rural areas. Under this, one adult member of every household is guaranteed to be given employment for at least 100 days in a financial year. MGNREGA embodied Gandhi's concept of "dignity of labour" and proved to be an effective tool for women empowerment in rural India. MGNREGA has contributed significantly to inclusive growth by ensuring poverty alleviation, employment generation, increase in wages in rural labor market, increase in bargaining power of workers.

मुख्य शब्दः गरीबी, मनरेगा, ग्रामीण रोजगार, कमजोर वर्ग मजदूर ।

Keywords: Poverty, MGNREGA Rural Employment, Weaker Section Workers.

प्रस्तावना

भारत में गरीबी बहुआयामी और आधारभूत समस्या है। गरीबी आर्थिक पहलू के साथ ही सामाजिक पहलू भी है यह केवल गरीब व्यक्तियों के गरीबी के लिए ही नहीं वरन् सारे देश के लिए अभिशाप है। गरीबी, व्यक्ति की योग्यता, स्वास्थ्य तथा आय अर्जन क्षमता को प्रभावित करती है। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार, पूरे विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रही है। भारत में लगभग 37 करोड़ लोग गरीबी और भूखमरी की त्रासदी से जूझ रहे है और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे-स्वास्थ्य, पोष्णता, शिक्षा, भोजन पीने योग्य पानी आदि से वंचित है। सरकार द्वारा समय-समय पर गरीबी पर प्रहार करने के लिए समयबद्ध योजनाएँ क्रियान्वित की गई परन्तु कोई भी योजना वांछित प्रभाव नहीं दिखा सकी। आजादी के 72 वर्षों के पश्चात भी आज हम उस स्थिति से बड़ी दूर है जब हर नागरिक के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सके। आर्थिक नियोजन के माध्यम से भारत में सुनियोजित विकास तो हुआ है परन्तु गरीबी दूर करने में अधिक सफलता नहीं मिली है। भारत में गरीबी का आंकलन पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उपभोग न कर पाने की क्षमता के आधार पर किया जाता है उस व्यक्ति को निर्धनता की रेखा से नीचे माना जाता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 2400 कैलोरी व शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ है। भारत में गरीबी, ग्रामीण व शहरी दोनों ही क्षेत्रों में व्याप्त है। विश्व बैंक की "विश्व विकास सूचक" शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार विश्व में निर्धन लोगों की सर्वाधिक संख्या भारत में है विषयक की 1.3 अरब निर्धन जनसंख्या का सर्वाधिक 36 प्रतिशत भाग भारत में है इन निर्धनों की आय 1 डॉलर प्रतिदिन से कम है।

भारत में निर्धनता अनुपात (प्रतिशत में)

	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		सम्पूर्ण भारत	
	2009 &10	2011&12	2009 &10	2011&12	2009&10	2011&12
तेंदुलकर समिति	33-8	25-7	20-9	13-7	29-8	21-9
रंगराजन समिति	39-6	30-9	35-1	26-4	38-2	29-5
सोत्र - भारतीय अर्थव्यवस्था प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक पेज नं0 32						

तालिका से स्पष्ट है कि रंगराजन समिति के नये पैमाने से 2009-10 में 38.2 प्रतिशत जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे थी जो घटकर 2011-12 में 29.5 प्रतिशत रह गयी। इसी समिति के ताजा आंकलन में 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 30.9 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में यह 26.4 प्रतिशत आंकलित किया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी ने गांव को देश के विकास की बुनियादी ईकाई मानते हुए गांवों के हालात बदलने की बात कही थी उसका प्रभाव स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक भारत की विकास योजनाओं में सदैव झलकता रहा। यही कारण है, कि देश में चाहे कोई भी सरकार रही हो, ग्रामीण विकास व रोजगार सदैव विकास नीतियों के केंद्र में रहा है। महात्मा **गांधी** राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम उसी राष्ट्रीय सहमति का एक भाग है जो देश से गरीबी दूर करने बल देते हुए सभी की न्यूनतम आय को सुनिश्चित करने पर बल देता है ग्रामीण रोजगार की दिशा में शुरू की गई अब तक की योजनाओं में 'मनरेगा' यानी **"महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीा रोजगार गारंटी अधिनियम"** एक विशिष्ट योजना है। हाल ही में यूएनडीपी (UNDP) द्वारा जारी की गई ग्लोबल ह्यमून डेवलमेंट रिपोर्ट 2015 में भी "मनरेगा" का उल्लेख विश्व में किये जा रहे सामाजिक सुरक्षा उपायों में एक मील के पत्थर के रूप में किया गया है। ग्रामीण गरीबी को प्रभावी तरीके से दूर करने के लिए न्यूनतम मजदूरी मिलने वाले रोजगार कार्यक्रमों को तैयार करने को दृष्टि में रखकर, सरकार ने 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम (NREGA) पारित किया, जिसका नाम सरकार ने बाद में महात्मा गांधी के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय गांरटी अधिनियम (MGNREGA)कर दिया।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम

भारत के ग्रामीण अकुशल गरीबों को रोजगार प्रदान करने के दृष्किोण के साथ मनरेगा को पांच सितम्बर 2005 को अधिसूचित किया गया था। यह देश के ग्रामीण क्षेत्रों मंे रोजगार का एक अधिकार आधारित कार्यक्रम है जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के नाम से आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले से 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह ने इसका नाम परिवर्तित करके महात्मा "गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम" कर दिया था, इसके अन्तर्गत अधिकार पर आधारित अधिनियम के द्वारा ग्रामीण निर्धन को सशक्त करने पर बल दिया गया है, जिसमें पूर्ण पारदर्शिता, स्थानीय संस्थाओं की भागीदारी तथा हिसाबदेयता के द्वारा जमीनी लोकतन्त्र सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत व्यवस्था विकसित की गई है। इस अधिनियम को शुरू में 2006-2007 में देश के 200 जिलो सबसे पिछड़े जिलों में क्रियान्वित किया गया और बाद में। अप्रैल 2007 से इस अधिनियम को 330 जिलों में लागू किया गया इसके बाद 2008-09 में यह देश के लगभग 625 जिलामें पर लागू किया गया है। वर्ष 2011-12 में मनरेगा के लिए 33,000 करोड रूपये के खर्च की व्यवस्था की गई। इसके विपरीत 25,894 करोड रूपये राज्यों/संघशासित प्रदेशो को जारी किए गए तथा, 1 अप्रैल 2012 को रू0 10,009 करोड़ के प्रारम्भिक शेष के साथ राज्यों के पास उपलब्ध 41,729 करोड़ रूपये थे। इसमें से 31 जनवरी 2013 तक 28,073 करोड रूपयों का उपयोग किया गया और वर्ष 2013-14 के लिए मनरेगा के अधीन 33,000 करोड रूपये खर्च की व्यवस्था की गई।

मनरेगा योजना के उद्देश्य

1. मनरेगा का सबसे बड़ा उद्देश्य ग्रामीण विकास और रोजगार के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करना है।
2. ग्रामीण भारत में निवास करने वाले गरीब व कमजोर आय वर्ग के परिवारों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना है ताकि वे अपनी आजीविका चला सके।
3. विकास कार्य के साथ-साथ आर्थिक मजबूती प्रदान करना।
4. ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार प्रदान करना जिससे रोजगार हेतु अन्य शहरों में होने वाले पलायन को रोका जा कसे।

5. आजीविका को मजबूत करना और गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करना।
6. भारत मं पचायती राज प्रतिष्ठानों को और मजबूत बनाना।
7. गांवों में दीर्घकालीन आधारभूत अवसंरचना के विकास, जल सुरक्षा को बढ़ावा देना, कृषि भूमि की उत्पादकता को बढ़ाना, बंजर भूमिको कृषि योग्य बनाना और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना।
8. यह अधिकार अधिनियम गांवों में रहने वाले, वंचित समूह विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गो को सहायता प्रदान कर उन्हे सशक्त करता है।
9. इस योजना के द्वारा भारत में व्याप्त लिंगभेद को कम करके रोजगार में महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान कर उन्हे आर्थिक रूप से सशक्त करने का प्रयास किया गया है।
10. इस अधिनियम से हर ग्रामीण परिवार को सरकार से सौ दिन (100) का काम मांगने का अधिकार मिल गया है इसके मुख्य प्रावधान निम्न है।
11. इस कानून के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक व्यस्क सदस्य को 100 दिनों के रोजगार की गारण्टी का अधिकार मिला है।
12. इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवार का कोई भी व्यस्क सदस्य जो अकुशल कार्य करना चाहता है वह इसके लिए मौखिक या लिखित रूप से स्थानीय ग्राम पंचायत में अपना पंजीयन करा सकता है।
13. कार्य की मांग करने वाले व्यक्ति को लिखित आवेदन गांव या ब्लॉक स्तर पर जमा करना होता है इसके पश्चात ग्राम पंचायत उस आवेदन के आधार पर 15 दिनों के अंदर आवेदन करने वाले व्यक्ति को जांच की रसीद जारी करती है।
14. आवेदन के सत्यापन के पश्चात ग्राम पंचायक परिवार को जॉब कार्ड जारी करता है इसमें परिवार के सभी व्यस्क सदस्यों के फोटो होते है इसे निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।
15. यदि निर्धारित 15 दिनों तक रोजगार न उपलब्ध करवाया गया तो न्यूनतम मजदूरी का एक तिहाई हिस्सा बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया जाता है।
16. आवेदन पत्र में वांछित कार्य का समय एवं उसकी अवधि का भी उल्लेख होता है।
17. मनरेगा के अन्तर्गत कामगार को अपने निवास स्थान से 5 किमी0 की परिधि में ही काम करने का अधिकार है लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कार्यस्थल की दूरी उसके निवास स्थान से 5 किमी0 से अधिक है तो वह परिवहन भत्ते का हकदार होगा।
18. मनरेगा के तहत लाभार्थियों में कम से कम एक तिहाई महिलाऐं होनी चाहिए।
19. मनरेगा के तहत कार्यान्वित होने वाले परियोजना कार्यों में ठेकेदारों और शारीरिक श्रम की जगह प्रयुक्त होने वाली मशीनों का प्रयोग प्रतिबंधित है मशीनों का प्रयोग वही होगा, जहाँ कार्य की गुणवत्ता व टिकाऊपन के लिए ऐसा करना आवश्यक हो।
20. मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर किया जाता है। अलग-अलग राज्यों में मजदूरी की दरें भिन्न-भिन्न है जो निम्न तालिका 1.1 में दी गई है

तालिका 1.1

राज्य/संघ का नाम	**प्रतिदिन मजदूरी की दरें रूपयों में**	**राज्य/संघ का नाम**	**प्रतिदिन मजदूरी की दर रूपयों में**
आंध्र प्रदेश	237	उड़ीसा	207
असम	213	पंजाब	263
अरूणाचल-प्रदेश	205	राजस्थान	220
बिहार	194	तमिलनाडू	256
छत्तीसगढ	190	हरियाणा	309 और अनुसूचित क्षेत्र 198
गुजरात	224	उत्तर प्रदेश	201
हरियाणा	309	उत्तराखण्ड	201
जम्मू व कश्मीर	204	पश्चिमी बंगाल	204

केरल	291	अण्डमान और	282
महाराष्ट्र	238	निकोबार	267
मध्य प्रदेश	190	मणिपुर	238
मेघालय	203	मिजोरम	225

21. इस योजना में 90 प्रतिशत खर्चों का वहन केन्द्र सरकार करेगी और शेष 10 प्रतिशत धन राज्य सरकार लगाएगी।
22. इस योजना में कार्यस्थल पर बच्चों को रखने की जगह, पेयजल, मरहम पट्टी और जरूरी दवाएं इत्यादि की भी व्यवस्था की गई।
23. योजना में पारदर्शिता और जवाबदेयता को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) की व्यवस्था की गई है।
24. यदि कार्यस्थल पर कोई भी श्रमिक घायल हो जाता है तो उसके लिए प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गई। यदि किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसे मुआवजा देने का भी प्रावधान है। कार्य के दौरान मृत्यु होने पर 25 हजार रूपये और स्थाई रूप से विकलांग होने पर भी 25 हजार रूपये दिये जाते है।
25. सभी प्रकार के रिकॉर्ड और अन्य कागजों की जांच का कार्य ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है।
26. मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों को वास्तविक मजदूरी (Real Wages) प्रदान करने के लिए सरकार ने मजदूरी दर को उपभोक्ता कीमत सूचकांक से जोड दिया है। अब उपभोक्ता कीमत सूचकांक में वृद्धि होने से मजदूरों की मजदूरी दर में भी आनुपातिक वृद्धि की जाएगी।

मनरेगा MGNREGA की उपलब्धियाँ एवं कमियाँ

मनरेगा कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष (2006&07) के कार्यक्रम को 200 जिलामें लागू किया गया तथा इसके अधीन 2.10 करोड़ परिवारों को 90.5 करोड़ व्यक्ति दिन (Parsondays) रोजगार दिया गया। वर्ष 2008-09 में 4.51 करोड़, 2009-10 में 4.90 करोड़, 2010-11 में 5-49 करोड़ तथा 2011-12 में 4-53 करोड़ परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया। दिसम्बर 2012 तक कुल 1,346 करोड़ व्यक्ति दिन रोजगार प्रदान किया गया। मजदूरी आय में वृद्धि होने से भारत में ग्रामीण निर्धनों का जीवनयापन आधार मजबूत हुआ। 2006-07 से लेकर दिसम्बर 2012 तक मजदूरी के भुगतान पर कुल 1,29,000 करोड रूपये खर्च किये गये। अनुसूचि जातियों/जनजातियों की मनरेगा में भागीदारी 2007-08 में 57 प्रतिशत, 2008-09 में 54 प्रतिशत, 2009-10 में 51 प्रतिशत तथा 2010-11 में 52 प्रतिशत थी। परन्तु 2011-12 में भागीदारी मात्र 38-05 प्रतिशत रह गई क्योंकि अधिनियम में यह प्रावधान था कि लाभभोगियों में से 33 प्रतिशत महिलाऐं होनी चाहिए। देश के प्राकृति संसाधन आधार को मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से मनरेगा में सर्वाधिक महत्व जल संरक्षण के कार्यक्रमों को दिया गया। योजना के शुरू से ही प्रत्येक वर्ष चालू किए गए कार्यक्रमों में जल संरक्षण कार्यक्रमों का लगभग आधा हिस्सा रहा है। (2010-11 में यह हिस्सा 48 प्रतिशत तथा 2011-12 में 60 प्रतिशत था।)

आज देश के प्रत्येक जिलें में यह योजना लागू है। मनरेगा ने ग्रामीण भारत के लोगों के लिए आय का साधन होने के साथ-2 गांवों के संरचनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है इससे ग्रामीण भारत मे पेयजल के साधन, जल संभरण, बंजर भूमि को कृषि भूमि के रूप में परिवर्तित करके, कृषि विकास में भी सहायता मिली है और मनरेगा ने सुदूर गांवों को नजदीकी शहरों से जोड़कर लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का कार्य किया है। मनरेगा ने गांधीजी के "श्रम की गरिमा" की धारणा को साकार किया है साथ ही यह ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण का प्रभावी उपकरण भी साबित हुआ। मनरेगा के माध्यम से 13 करोड़ परिवारों के लगभग 28 करोड़ कामगारों के पास जॉब कार्ड उपलब्ध है।

नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड़ इकोनामिक रिसर्च (NCAER) का मानना है कि मनरेगा शुरू होने से पहले 42% ग्रामीण जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी। लेकिन मनरेगा की शुरूआत के बाद इसमें 30% भागीदारी ग्रामीण गरीब जनसंख्या की रही, जबकि गैर-गरीब जनसंख्या 21% है। अतः स्पष्ट रूप से मनरेगा ने सबसे अधिक ग्रामीण गरीबों को आर्कषित किया है साथ ही कमजोर वर्ग मजदूर, आदिवासी, दलित एवं छोटे सीमान्त कृषको के बीच गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। मनरेगा से जहाँ "ग्रामीण श्रम बाजार" में मजदूरी में वृद्धि हुई है, वही श्रमिकों द्वारा मोलभाव करने की क्षमता भी बढ़ी है परिणामस्वरूप ग्रामीण जनसंख्या की कुल आय में वृद्धि हुई, फलस्वरूप उनकी क्रय शक्ति में भी वृद्धि हुई।

मनरेगा योजना में जिन गांव एवं परिवार में भाग लिया, उनकी स्थानीय साहूकारों पर निर्भरता काफी घटी है क्योंकि इसका मुख्य कारण मनरेगा द्वारा सीधे भुगतान हेतु बैंकों एवं पोस्ट ऑफिस खातों का प्रयोग करता रहा है। महिला सशक्तिकरण में भी मनरेगा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है क्योंकि मनरेगा लाभार्थियों में एक तिहाई महिलाओं का होना अनिवार्य है।

मनरेगा के अन्तर्गत, ग्रामीण गरीबों को गांवों में ही आजीविका के बेहतर साधन हुए है और आजीविका की खोज में होने वाले तनावपूर्ण प्रवासन पर रोक लगी है। इस बात को आज नजरअंदाज नही किया जा सकता है कि ग्रामीण भारत के सामाजिक-आर्थिक समावेशन के साथ महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में मनरेगा एक क्रान्तिकारी पहल है लेकिन इस योजना का लाभ अपेक्षित वर्गो तक सही प्रकार से नही पहुंच पा रहा है क्योंकि वर्तमान समय में मनरेगा के समक्ष अनेक समस्याएं है जैसे मनरेगा के तहत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए मजदूर का पर्याप्त रूप से शिक्षित होना जरूरी है। भारत के सभी राज्यों में मजदूर बडी संख्या में अशिक्षित है जिसके कारण मजदूरों को उनका उचित हक नही मिल पाता है। इस योजना के तहत कार्यो की योजना बनाने में ग्राम सभा की भागीदारी न्यूनतम रहती है और मनरेगा के तहत किए गए कार्यो के अनुपात में मजदूरी के लिए आवश्यक राशि का अभाव या पर्याप्त राशि का हस्तान्तरण न होना भी है। मनरेगा के तहत होने वाले कार्यो का उचित प्रबन्धन नही होने के कारण उनकी गुणवत्ता कम रहती है। इस योजना के तहत एक प्रमुख समस्या समय पर मजदूरी की पूरी राशि का भुगतान का नही मिलना भी है। इसके अतिरिक्त सामाजिक अंकेक्षण के अभाव में पारदर्शिता की कमी पाई जाती है। इसके लिए समाज की भागीदारी जरूरी है लेकिन अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण यह योजना भ्रष्टाचार की शिकार बनती जा रही है। लेकिन अभी तक सरकार इसमें अपारदर्शिता एवं खामियों को दूर नही कर सकी है। इस योजना में पंचायतीराज व्यवस्था द्वारा सोशल ऑडिट करने की व्यवस्था है परन्तु वास्तव में सोशल ऑडिट के नाम पर केवल खानापूर्ति ही की जा रही है। इसी प्रकार योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार काफी अधिक है जो खत्म होने का नाम नही ले रहा है। जैसे कही जॉब कार्ड बन जाने पर भी काम न मिलने की शिकायत, तो कही हाजरी रजिस्टर में हेराफेरी की। इसके अतिरिक्त कागजों में फर्जी मशीनों का उपयोग तथा फर्जी कामगारों को दिखाकर फर्जी बिल बनाये जाने के मामले सामने आये है। उपरोक्त आलोचनाओं के बाद इस बात को स्वीकार किया गया है कि "मनरेगा" एक अच्छी योजना है। भारत सरकार ने एक सुधारात्मक कार्ययोजना मनरेगा 2.0 की रूपरेखा तय की है। मनरेगा 2.0 में कृषि और अन्य ग्रामीण आजीविका के साधनों के मध्य एक संतुलन स्थापित किया गया है। इसके तहत मजदूरी का अब प्रत्यक्ष राशि हस्तान्तरण के द्वारा किया जा रहा है। अब मस्तर रोल को इलैक्ट्रानिक रूप से अपडेट करने की व्यवस्था की गई है साथ ही मनरेगा 2.0 के तहत सामाजिक अकेंक्षण की व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया।

निष्कर्ष

अब सरकार कुछ नई नीतियों के साथ, मनरेगा को अधिक प्रभावी बनाने के प्रयास कर रही है। अतः मनरेगा का यदि तरीके से प्रयोग किया जाए तो यह कल्याणकारी योजना बनकर रह जाने के बजाए ग्रामीण भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास का एक सशक्त माध्यम बन सकती है। आज सरकार द्वारा इसके क्रियान्वयन के स्तर पर होने वाली अनियमितताओं पर रोक लगाकर इसे ज्यादा पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसा करके ही हम ग्रामीण गरीबी को दूर करके भारत को सशक्त बना सकते है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *मनरेगाः देश के समावेशी विकास में कितनी सफल 22/02/2019 दृष्टि (drishti ias.com)*
2. *प्रतियोगिता दर्पणः सामान्य अध्ययन, भारतीय अर्थव्यवस्था 2021*
3. *पन्त, जे.सी., मिश्रा जे.पी. "भारतीय आर्थिक समस्याएं"*
4. *सिन्हा वी.सी. अर्थशास्त्र*
5. *दत्र एवं सुन्दरम 'भारतीय अर्थव्यवस्था'*
6. *Jain T.R. "भारतीय आर्थिक समस्याएं"*
7. *पुरी वी.के., मिश्र एस.के. "भारतीय अर्थव्यवस्था"*
8. *https://nerga.nic.in*
9. *https://mnregaweb2.nic.in*
10. *https://jobcardlist.in*